[2018] 5 एस.सी.आर 662

भारत संघ
बनाम

हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आईएनसी

(सिविल अपील संख्या 4628/2018) बी मई 01, 2018

[आर. केके. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश]

मध्यस्थता कानून - अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता - एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मामले में प्रतिवादी के पक्ष में पारित निर्णय - अपीलकर्ता और प्रतिवादी (विदेशी कंपनी) के बीच मध्यस्थता कार्यवाही - अपीलकर्ता द्वारा पारित निर्णय की वैधता को चुनौती देने वाले प्रतिवादी के खिलाफ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर आवेदन - प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ आपत्ति जताई कि भारतीय न्यायालयों के पास इस तरह के आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है - उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई आपत्ति न्यायालय - डी मुद्दा जब मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता बैठकें आयोजित करने के लिए "स्थान" निर्दिष्ट किया गया है, लेकिन "बैठक " निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो किस आधार पर और किस सिद्धांत द्वारा, पार्टियों को मध्यस्थता कार्यवाही के बाद निर्णय लेने के लिए किसी विशेष देश के कानूनों की प्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए "बैठक " E_ स्थान तय करना होगा: हालांकि, मध्यस्थता समझौते/अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौते के तहत उत्पन्न मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने के लिए "बैठक" और "स्थान" के बारे में प्रश्न मुख्य रूप से मध्यस्थता समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना आवश्यक है, लेकिन कई एफ निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के संबंध में, यह Or.VI के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। आर.2, सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 और एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996- धारा 34 - सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 - आदेश VI नियम 2 उचित पीठ के गठन के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश देते हुए, न्यायालय ने कहा: 1.1 हालांकि, मध्यस्थता समझौते/अंतर्राष्ट्रीय H 662 भारत संघ बनाम हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आईएनसी

के तहत उत्पन्न मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने के लिए "सीट" और "स्थान" के बारे में प्रश्न वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौते को मुख्य रूप से मध्यस्थता समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना आवश्यक है, लेकिन परिवर्तनीय शक्ति की बेंचों द्वारा कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, और पक्षों के अधिवक्ताओ द्वारा आग्रह की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और अपील में शामिल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता मामलों में अक्सर उठते हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश VI नियम 2 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है और इस मामले (अपील) को इस न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा इसकी सुनवाई के लिए निपटाने के लिए भेजा जाता है। [पैरा 23] [670-A-C]

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बनाम सिंगर कंपनी औरअन्य। (1992) 3 एससीसी 551: [1992] 3 एससीआर 106;

सुमितोमो हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओएनजीसी लिमिटेड और अन्य। (1998) 1 एससीसी 305: [1997] 6 suppl. एससीआर 186;

सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड (1999) 2 एससीसी 479:[1999] 1 एससीआर 89;

भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंगएसए और एनआर। (2002) 4 एससीसी 105: [2002] 2 एससीआर 411;

वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग बनाम सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (2008) 4 एससीसी 190: [2008] 1 एससीआर 501;

इंटेल टेकनिकल सर्विसप्राइवेट लिमिटेड बनाम डब्लू.एस . एटकिन्स रेल लिमिटेड (2008) 10 एससीसी 308: [2008] 12 एससीआर 673;

बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम के. मोहन दास और अन्य। (2009) 5 एससीसी 313: [2009] 5 एससीआर 118;

साइटेशन इन्फोवेयर्स लिमिटेड बनाम इक्विनॉक्स कॉर्पोरेशन (2009) 7 एससीसी 220: [2009] 6 एससीआर 737;

राजस्थान राज्य और अन्य बनाम फेरो कंक्रेट कंस्ट्रक्शन्स (पी) लिमिटेड (2009) 12 एससीसी 1: [2009] 10 एससीआर 31;

वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत संघ और अन्य । (2011) 6 एससीसी 161: [2011] 8 एससीआर 569;

डोज़को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डूसन इंफ्राकोर कंपनी लिमिटेड
(2011) 6 एससीसी 179: [2010] 12 एससीआर 259;

योगराज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम ससांग योंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (2011) 9 एससीसी 735: [2011] 14 एससीआर 301;

भारत एल्यूमिनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेकनिकल सर्विस आईएनसी (2012) 9 एससीसी 552:[2012] 12 एससीआर 327;

एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य बनाम एनरकॉन GMBH & अन्य (2014) 5 एससीसी 1: [2014] 2 एससीआर 855;

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य सुप्रीम कोर्ट संघ की रिपोर्ट [2018] 5 एस भारत (2014) 7 एससीसी 603 : [2014] 6 एससीआर 456;

हार्मोनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड बनाम गुप्ता कोल इंडिया लिमिटेड (2015) 9 एससीसी 172: [2015] 2 एससीआर 697;

भारत संघ बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य(2015) 10 एससीसी 213: [2015] 10 एससीआर 85;

भारत एल्यूमिनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज आईएनसी (2016) 4 एससीसी 126: [2016] 1 एससीआर 364;

Eitzen बुल्क ए / एस और अन्य बनाम आशापुर माइनकेम लिमिटेड और अन्य (2016) 11 एससीसी 508: [2016] 2 एससीआर 634;

आईमैक्स कॉर्पोरेशन बनाम ई-सिटी एंटरटेनमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (2017) 5 एससीसी 331: [2017] 4 एससीआर 833;

रोजर शाशौआ और अन्य बनाम मुकेश शर्मा और अन्य (2017) 14 एससीसी 722 - संदर्भित।

- नाविएरा अमेजोनिका पेरुआना एसए बनाम कॉम्पानिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू (1988) (1) लॉयड लॉ रिपोर्ट 116; हिस्कॉक्स वी। - ओथवेट (1992) 1 एसी 562; भारत संघ बनाम मैकडॉनेल डगलस कॉर्प। (1993) 2 लॉयड लॉ प्रतिनिधि 48; सीवी डी (2007) ईडब्ल्यूसीए सिव 1282 (सीए); सी वी डी (2008) 1 लॉयड ्स लॉ रेप 239; - डौन विंड फार्म (स्कॉटलैंड) लिमिटेड बनाम अल्फ्रेड मैकअल्पाइन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड (2008) ईडब्ल्यूएचसी 426 (टीसीसी); शशौआ और अन्य। शर्मा (2009) ईडब्ल्यूएचसी 957 (कॉम) ; अमेरिका ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताया है। v. एनेसा एन्जेन्हारिया एसए और अन्य। (2012) ईडब्ल्यूसीए सिव 638; (1) एनरकॉन जीएमबीएच (2) (इंडिया) लिमिटेड (2012) ईडब्ल्यूएचसी 3711 (कॉम वोबेन प्रॉपर्टीज जीएमबीएच वाई एनरकॉन); भारत सरकार बनाम पेट्रोकॉन इंडिया लिमिटेड (2016) एससीसी ऑनलाइन एमवाईएफसी 35 - संदर्भित। एससीआर
106 पैरा 16 को संदर्भित 1 एससीआर 89 पैरा 16 को संदर्भित 2 एससीआर 411 पैरा 16 को संदर्भित 1

एससीआर 501 पैरा 16 बनाम हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड

प्रोडक्शन (इंडिया) इंक

[2008] 12 एससीआर 673 को संदर्भित पैरा 16 [2009] 5 एससीआर 118 को संदर्भित पैरा 16 [2009] 6 एससीआर 737 को संदर्भित किया गया है। 31 पैरा 16 [2011] 8 एससीआर 569 को संदर्भित पैरा 16 [2010] 12 एससीआर 259 को संदर्भित पैरा 16 [2011] 14 एससीआर 301 को संदर्भित पैरा 16 [2012] 12 एससीआर 327 को संदर्भित पैरा 16 [2014] 2 एससीआर 327 को संदर्भित किया गया है। पैरा 16 [2016] 2 एससीआर 634 पैरा 16 [2017] 4 एससीआर 833 को संदर्भित पैरा 16 (2017) 14 एससीसी 722 को पैरा 16 सिविल

अपीलीय अधिकार क्षेत्राधिकार:

सिविल अपील संख्या 4628/2018 के रूप में संदर्भित किया गया है।2016 के एफएओ संख्या 59 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 27.07.2016 के निर्णय और आदेश से।

तुषार मेहता, एएसजी, केआर शशिप्रभु, रजत नायर, सोमिरन शर्मा, सृजन सिन्हा, सुश्री कानू अग्रवाल, अपीलकर्ता के वकील।

प्रतिवादी की ओर से अमीत नाइक, ऋषि अग्रवाल, अभिषेक काले, हर्षवर्धन झा, करण लूथरा, सुश्री देविका मोहन, ई.सी. सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 5 एस.सी.आर.

न्यायालय का निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. अनुमति दी

2. यह अपील 2016 के एफएओ संख्या 59 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है, जिसमें उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भारत संघ (अपीलकर्ता) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 2013 के ओएमपी संख्या 693 आर्डर दिनाक 20.06.2016 में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।

3.अपील में शामिल विवाद की सराहना करने के लिए, कुछ प्रासंगिक तथ्य, जो एक संकीर्ण कम्पास में निहित हैं, नीचे दिए गए हैं-

4. यह अपील अपीलकर्ता (भारत संघ) द्वारा प्रतिवादी-कंपनी के खिलाफ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत दायर कार्यवाही (ओएमपी 693/2013) से उत्पन्न होती है, जिसमें अपीलकर्ता ने अपीलकर्ता (भारत संघ) और प्रतिवादी (कंपनी विदेशी) के बीच एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवादी के पक्ष में मध्यस्थों द्वारा दिए गए फैसले की वैधता, वैधता और शुद्धता को चुनौती दी थी।

5. प्रतिवादी ने कई आपत्तियां उठाकर अपीलकर्ता के आवेदन का विरोध किया। ऐसी ही एक प्रारंभिक आपत्ति, जो आवेदन की एक आधार तक गई, भारत में न्यायालय में अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर अपीलकर्ता के आवेदन की विचारणीयता के संबंध में थी।

6. प्रतिवादी के अनुसार, भारतीय न्यायालयों के पास अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर अपीलकर्ता केआवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ताकि विचाराधीन निर्णय की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी जा सके।

7. एकल न्यायाधीश ने दिनांक 09.07.2015 के आदेश द्वारा प्रतिवादी की प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखा और कहा कि मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को नियंत्रित करने वाले कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के साथ-साथ समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय न्यायालयों के पास अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। और तदनुसार अपीलकर्ता के आवेदन को भारतीय न्यायालयों में सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए

खारिज कर दिया। भारत संघ बनाम हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक [अभय मनोहर सप्रे, जे।

8. चूंकि अपीलकर्ता के आवेदन को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, इसलिए एकल न्यायाधीश ने मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को गुण-दोष के आधार पर तय करना आवश्यक नहीं समझा।

9. अपीलकर्ता (भारत संघ) ने एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, दिल्ली में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत अपील दायर की।

10. आक्षेपित निर्णय रद्द , डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की और कहा कि भारतीय न्यायालयों को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता कार्यवाही में प्रदान किए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाने के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलकर्ता के आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

11. इस आदेश के विरुद्ध भारत संघ ने व्यथित होकर इस न्यायालय में विशेष अनुमति से वर्तमान अपील दायर की है।

12. अपीलकर्ता के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और प्रतिवादी के वरिष्ठ वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी को सुना।

13. प्रारंभ में, हम यह कह सकते हैं कि अपीलकर्ता (भारत संघ) की ओर से पेश हुए एएसजी श्री तुषार मेहता और प्रतिवादी की ओर से पेश हुए डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने मामले के समर्थन में अपनी-अपनी दलीलें बहुत कुशलता से प्रस्तुत कीं। तर्क वास्तव में स्पष्टता के साथ अंतराल में कुछ महीनों तक चले।

14. अपनी प्रस्तुतियों में, दोनों विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने लगभग हर मुद्दे पर बहस की, जो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और यहां तक कि दूर-दूर से अपील में उत्पन्न हुआ है।

15. विद्वान वकील ने अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, इस न्यायालय के लगभग हर फैसले का हवाला दिया, जिसमें अंग्रेजी न्यायालय के फैसले भी शामिल हैं, जो इस विषय और इस मामले में उत्पन्न मुद्दों से निपटते हैं और यह दिखाने के लिए या तो अंतर करने या / और उन पर भरोसा करने का ईमानदार प्रयास करते हैं कि ये निर्णय मामले के तथ्यों पर कैसे और क्यों लागू होते हैं या वे कैसे और क्यों लागू नहीं होते हैं।

16. पार्टियों के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से इन मामलों का हवाला दिया
: विदेशी मामले: नवीरा अमेजोनिका पेरुआना एसए बनाम कॉम्पानिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू (1988) (1) लॉयड लॉ रिपोर्ट 116, हिस्कॉक्स बनाम ओथवेट (1992) 1 एसी 562, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट संघ [2018] 5 एससीआर।

भारत बनाम मैकडॉनेल डगलस कॉर्प। (1993) 2 लॉयड ्स लॉ प्रतिनिधि 48, सी बनाम डी (2007) ईडब्ल्यूसीए सिव 1282 (सीए), सी बनाम डी (2008) 1 लॉयड ्स लॉ रेप 239, ब्रास ऑफ डौन विंड फार्म (स्कॉटलैंड) लिमिटेड बनाम अल्फ्रेड मैकअल्पाइन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड (2008) ईडब्ल्यूएचसी 426 (टीसीसी), शाशौआ और ओर्स। बनाम शर्मा (2009) ईडब्ल्यूएचसी 957 (कॉम), सुलामेरिका सीआईए नेशनल डी सेगुरोस, एसए और ओआरएस। बनाम एनेसा एंगेनहरिया एसए एंड ओर्स, (2012) ईडब्ल्यूसीए सिव 638, (1) एनरकॉन जीएमबीएच (2) वोबेन प्रॉपर्टीज जीएमबीएच बनाम एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (2012) ईडब्ल्यूएचसी 3711 (कॉम), भारत सरकार बनाम पेट्रोकॉन इंडिया लिमिटेड (2016) एससीसी ऑनलाइन एमवाईएफसी 35।

भारतीय मामले: नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बनाम सिंगर कंपनी और अन्य। (1992) 3 एससीसी 551, सुमितोमो हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओएनजीसी लिमिटेड और अन्य। (1998) 1 एससीसी 305, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड (1999) 2 एससीसी 479, भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एसए और एनआर। (2002) 4 एससीसी 105, वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग बनाम सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (2008) 4 एससीसी 190, इंडटेल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट

लिमिटेड बनाम डब्ल्यू एस एटकिंस रेल लिमिटेड, (2008) 10 एससीसी 308, बैंक ऑफ इंडिया और एन. बनाम के. मोहन दास और अन्य, (2009) 5 एससीसी 313, साइटेशन इन्फोवेयर्स लिमिटेड बनाम इक्विनॉक्स कॉर्पोरेशन (2009) 7 एससीसी 220, राजस्थान राज्य और अन्य। बनाम फेरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड (2009) 12 एससीसी 1, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और एनआर। (2011) 6 एससीसी 161, डोज्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डूसन इंफ्राकोर कंपनी लिमिटेड (2011) 6 एससीसी 179, योगराज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम सांग योंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (2011) 9 एससीसी 735, भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज आईएनसी (2012) 9 एससीसी 552, एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। बनाम एनरकॉन जीएमबीएच और एनर। (2014) 5 एससीसी 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एनआर। भारत संघ (2014) 7 एससीसी 603, हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड बनाम गुप्ता कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य, (2015) 9 एससीसी 172, भारत संघ बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य। (2015) 10 एससीसी 213, भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज आईएनसी (2016) 4 एससीसी 126, एटज़ेन बल्क ए / एस एंड ओआरएस। बनाम आशापुर माइनकेम लिमिटेड और अन्य। (2016) 11 एससीसी 508, आईमैक्स कॉर्पोरेशन बनाम ई-सिटी एंटरटेनमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (2017) 5 एससीसी 331, रोजर शाशौआ और अन्य। बनाम मुकेश शर्मा और अन्य, 2017 (14) एससीसी 722।

भारत संघ बनाम हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक [अभय मनोहर सप्रे, जे।

17. दोनों विद्वान वरिष्ठ वकीलों का तर्क मुख्य रूप से एक प्रश्न के आसपास केंद्रित था, जो हमारी राय में, अपील में उठता है, अर्थात्, जब मध्यस्थता समझौता मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता बैठकों के आयोजन के लिए "स्थान" निर्दिष्ट करता है, लेकिन "बैठक " निर्दिष्ट नहीं करता है, तो किस आधार पर और किस सिद्धांत द्वारा, पार्टियों को "सीट" का स्थान तय करना होगा, जिसका कानूनों की प्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए भौतिक प्रभाव है। पुरस्कार के बाद मध्यस्थता कार्यवाही तय करने के लिए एक विशेष देश।

18. उपरोक्त मामलों में निर्धारित कानून की सहायता से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा मुख्य प्रश्न से जुड़े कई अन्य सहायक प्रश्न भी उठाए गए थे।

19. पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने भी न्यायालय को संबोधित करते हुए कहा कि इस अपील में उठने वाले प्रश्नों पर प्रभाव डालने वाले कुछ निर्णय संविधान पीठ द्वारा दिए गए हैं, कुछ तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा और शेष दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए हैं।

20. वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी की एक दलील यह थी कि सुमितोमो हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओएनजीसी लिमिटेड और अन्य (सुप्रा) के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय, जिस पर श्री तुषार मेहता द्वारा बहुत भरोसा किया गया था, विद्वान एएसजी ने अपनी प्रभावकारिता खो दी है, हालांकि भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज आईएनसी (सुप्रा) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक और हालिया फैसले द्वारा अनुमोदित, इस कारण से कि इसे मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत प्रदान किया गया था, जिसे अब मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा निरस्त कर दिया गया है और दूसरी बात, इसे विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 की धारा 9 के संबंध में प्रदान किया गया था, जिसे अब 1996 अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

21. उनका निवेदन था कि सुमितोमो हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) के अनुपात को अनुमोदित करते समय इन दो कारकों, जिनकी इसकी प्रभावकारिता पर कुछ प्रासंगिकता है, की भारत एल्यूमिनियम कंपनी (सुप्रा) के मामले में जांच नहीं की गई है।

22. डॉ. सिंघवी ने यह भी आग्रह किया कि यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून का क्या प्रभाव है, जब उन्हें "बैठक " के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता समझौते का हिस्सा बनाया जाता है, यह भी अब तक पहले के किसी भी निर्णय में तय नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 5 एस.सी.आर.

23. हमारी राय में, हालांकि, मध्यस्थता समझौते / अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने के लिए "सीट" और "स्थान" के बारे में प्रश्न मुख्य रूप से मध्यस्थता समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना आवश्यक है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया

गया है, और आगे पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा आग्रह की गई उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और अपील में शामिल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता मामलों में उठते हैं, हमारा विचार है कि यह सुप्रीम कोर्ट नियमों के आदेश VI नियम 2 के तहत हमारी शक्ति का उपयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। 2013 और इस मामले (अपील) को सुनवाई के लिए इस न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा निपटाए जाने के लिए संदर्भित करें।

24. इस कारण से, हम अपील में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने से बचते हैं और प्रश्नों/मुद्दों को उपयुक्त बड़ी पीठ द्वारा निपटाए जाने के लिए छोड़ देते हैं।

25. तदनुसार, हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि इस अपील की सुनवाई और निपटान के लिए उचित पीठ के गठन के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

दिव्या पांडे ने उचित पीठ के गठन के लिए माननीय सीजेआई के समक्ष मामले को रखने का निर्देश दिया।